भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1930

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादी गतिविधियां

†1930. श्री रूद्रमाधव राय:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्रीमती मीना सिंह:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री आर० थामराईसेलवन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में हुए आतंकवादी हमलों और बम-विस्फोटों का राज्य-वार ब्यौरा और इस सिलसिले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त हमले और बम-विस्फोट यह दर्शाते हैं कि देश के अंदर 'इंडियन मुजाहिदीन' जैसे कुछ आंतरिक आतंकवादी संगठन उभर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ड.) क्या उक्त संगठनों को पाकिस्तान सहित कुछ विदेशी देशों से सहायता मिल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) से (ग) : चालू वर्ष के दौरान देश के अंदरूनी क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों एवं बम धमाकों तथा उनके पीछे शामिल संगठनों सहित उनकी जांच की ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(घ) : कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और इसलिए इन्हें कायम रखने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, आंतरिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को देखते हुए आतंकवाद से मुकाबला करने की जिम्मेवारी साझी है। भारत सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से उनके पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देती रही है। उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे से निपटने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या बल में वृद्धि करना; चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एवं मुम्बई में एनएसजी केन्द्रों की स्थापना करना; किसी भी आपातकालीन स्थिति में एनएसजी कार्मिकों के आवागमन के लिए वायुयान की मांग के लिए महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को अधिकार प्रदान करना; मल्टी एजेंसी सेंटर को वास्तविक समय में सूचना संग्रह करने एवं अन्य आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने हेतु 24x7 के आधार पर कार्य करने योग्य बनाने के लिए सशक्त बनाते हुए पुनः संरचित करना; आप्रवासन का ठोस नियंत्रण; सीमाओं की चौबीसों घंटे निगरानी एवं गश्ती के माध्यम से प्रभावी सीमा प्रबंधन, निगरानी चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना; तेज रोशनी की व्यवस्था; आधुनिक एवं उच्च तकनीकी वाले निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना सेटअप को उन्नत बनाना और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद से मुकाबला के लिए दण्डात्मक उपायों को मजबूती प्रदान करने हेतु विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को वर्ष 2008 एवं 2010 में संशोधित एवं अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अधीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है जो कि इस अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच करेगा और मुकदमा चलाएगा। आतंकी खतरों का मुकाबला करने वाले कदमों के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) बनाई गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम में वर्ष 2009 में संशोधन किया गया है जिससे कि इसमें अन्य के साथ-साथ विधेय अपराध के रूप में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कुछ निश्चित अपराधों को शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार विविध बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों पर वित्तपोषण सहित इसके प्रत्येक पहलू के साथ सीमा पार से आतंकवाद के मामलों को निरंतर उठाती रहती है।

(ड.) और (च): आसूचना की उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार भारत में सक्रिय उग्रवादी/आतंकवादी संगठनों को अक्सर विदेश, विशेषकर पाकिस्तान स्थित उनके पैरेंट संगठनों से आवास, प्रशिक्षण, हथियार एवं धन के मामले में सहायता प्राप्त होती है।

ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर की आसूचना एजेंसियों के बीच गहन एवं प्रभावी समन्वय मौजूद है। संभावित आतंकवादी षडयंत्रों एवं धमकियों से संबंधित आसूचना जानकारी को नियमित आधार पर संबंधित राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है। सूचना के सही समय (रीयल टाईम) के मिलान तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बहु-एजेंसी केन्द्र को चौबीसों घंटे कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए इसका सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन किया गया है तथा स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा आसूचना संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है जिससे राज्यों एवं केन्द्र की सुरक्षा तथा विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच आसूचना का नजदीकी समन्वय एवं आदान-प्रदान तथा सूचना का निर्बाध रूप से प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप अनेक आतंकी मॉडयूल्स ध्वस्त किए गए हैं जिससे कि बड़े आतंकी हमलों की योजनाएं टाली जा सकीं।

*****

(क)से(ग): वर्तमान वर्ष के दौरान देश के अंदरूनी क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों एवं बम धमाकों तथा उनके पीछे शामिल संगठनों सहित उनकी जांच के ब्यौरे अनुलग्नक-। में दिए गए हैं।

(घ): कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है और इसलिए इन्हें कायम रखने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, आंतरिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को देखते हुए आतंकवाद से मुकाबला करने की जिम्मेवारी साझीी है। भारत सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से उनके पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देती रही है। उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे से निपटने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलां की संख्या बल में वृद्धि करना ; चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एवं मुंबई में एनएसजी केन्द्रों की स्थापना करना; किसी भी आपातकाीन स्थिति में एनएसजी कार्मिकों के आवागमन के लिए वायुयान की मांग के लिए महानिदेशक, रारष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को अधिकार प्रदान करना; मल्टी एजेंसी सेंटर को वास्तविक समय में सूचना संग्रह करने एवं अन्य आसूचना तथ्ंा सुरक्षा एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने हेतु 24x7 के आधार पर कार्य करने योग्य बनाने के लिए सशक्त बनाते हुए पुन: संरचित करना; आप्रवासन का ठोस नियंत्रण; सीमाओं की चौबीसों घंटे निगरानी एवं गश्ती के माध्यम से प्रभावी सीमा प्रंधन; निगरानी चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना; तेज रोशनी की व्यवस्था; आधुनिक एवं उच्च तकनीकी वाले निगरानी उपकरण लगाना; आसूचना सेटअप को सउन्न्त बनाना और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद से मुकाबला के लिए दंडात्मक उपायों की मजबूती प्रदान करने हेतु विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को वर्ष 2008 एवं 2010 में संशोधित एवं अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अधीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है जो कि इस अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच करेगा और मुकदमा चलाएगा। आतंकी खतरों का मुकाबला करने वाले कदमों के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) बनाई गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम में वर्ष 2009 में संशोधन किया गया है जिससे कि इसमें अन्य के साथ-साथ विधेय अपराध के रूप में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कुछ निश्चित अपराधों को शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार विविध बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों पर वित्तपोषण सहित इसके प्रत्येक पहलू के साथ सीमा पार से आतंकवाद के मामलों को निरंतर उठाती रहती है।

(ड.)और(च): आसूचना की उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार भारत में सक्रिय उग्रवादी/आतंकवादी संगठनों को अक्सर विदेश, विशेषकर पाकिस्तान स्थित उनके पैरेंट संगठनों से आवास, प्रशिक्षण, हथियार एवं धन के मामले में सहायता प्राप्त होती है।

ऐसी गतिविधियों को मुकाबला करने के उद्देश्य से आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर की आसूचना एजेंसियों के बीच गहन एवं प्रभावी समन्वय मौजूद है। संभावित आतंकवादी षडयंत्रों एवं धमकियों से संबंधित आसूचना जानकारी को नियमित आधार पर संबंधित राज्य सरकार के साथ साझा किया जाता है। सही समय (रीयल टाईम) पिर मिलान तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बहु एजेंसी केन्द्र को चौबीसों घंटे कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए इसका सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन किया गया है तथा स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा आसूचना संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है जिससे राज्यों एवं केन्द्र की सुरक्षा तथा विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच आसूचना का गहन समन्वय एवं आदान-प्रदान तथा सूचना का निर्बाध रूप से प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप अनेक आतंकी मॉडयूल्स ध्वस्त किए गए हैं जिससे कि बड़ी आतंकी हमले की योजना टाली जा सकीं।

--

लो० स० अता० प्र० सं० 1930

अनुलग्नक-I

दिनांक 17.12.2013 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1930 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्रम सं.	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति	गिरफ्तार व्यक्ति	फरार व्यक्ति	जांच एजेंसी	जांच/अभियोजन की स्थिति	शामिल संगठन
1.	21.02.2013 हैदराबाद में दो बम धमाके	17	123	शून्य	शून्य	एनआईए	मामला जांच के अधीन है।	आईएम
2.	17.04.2013 बेंगलूरू में बम धमाका	शून्य	16	11	6	कर्नाटक पुलिस	मामला जांच के अधीन है।	अज्ञात
3.	07.07.2013 बोधगया में बम धमाके	शून्य	2	शून्य	शून्य	एनआईए	मामला जांच के अधीन है।	आईएम
4.	27.10.2013 पटना में सीरियल बम धमाके	6	89	2	शून्य	एनआईए	मामला जांच के अधीन है।	आईएम